|| महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ||

क्रमांकःप.10(1)/JHQ/SOP/04/2024–02560/30052-30162 दिनांकः 19/9/24

बंदियों के मेडिकल टिकिट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

राज्य की समस्त कारागृहों पर सभी बंदियों की उपचार संबंधी पर्चियां एक साथ जेल में रखी जाती है, परंतु प्रत्येक बंदी के लिये किसी प्रकार का एक मेडिकल टिकिट (ऐसी कोई पत्रावली एवं रिकार्ड) संधारण करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें बंदी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार व दवाईयों का इंद्राज एक की जगह किया जा सके। बंदियों की बीमारियों, उपचार इत्यादि के रिकॉर्ड संधारण के संबंध में मेडिकल टिकिट बनाये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

1. बंदी के कारागृह में प्रवेश होने के साथ ही एक मेडिकल टिकिट बना दिया जाये जिसमें रिहाई तक की अवधि में उसे जेल डिस्पेंसरी एवं बाहर स्थानीय चिकित्सालय से दिये गये उपचार का समस्त रिकॉर्ड का इंद्राज किया जाये।
2. केन्द्रीय कारागृहों पर एक से अधिक चिकित्साधिकारी होने के कारण जब भी जिस चिकित्साधिकारी द्वारा बंदी का परीक्षण/उपचार किया जाये तो उन्हीं चिकित्साधिकारी द्वारा मय हस्ताक्षर के पूरा उपचार संबंधित विवरण मेडिकल टिकिट में इंद्राज किया जाये।
3. सामान्य उपचार के लिए भी बंदी जेल अस्पताल में आये तो उसी मेडिकल टिकिट में चिकित्साधिकारी द्वारा उसमें बंदी की बीमारी में दी जाने वाली दवाइयां एवं जांच आदि लिखी जाये।
4. बंदी का मेडिकल टिकिट प्रवेश से रिहाई तक एक ही रहेगा जिसमें सभी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी इंद्राज के साथ ही बंदी जेल चिकित्सालय से बाहर स्थानीय चिकित्सालय में रेफर किया जाता है तो उपचार के बाद बंदी के जेल दाखिल होने पर उससे संबंधित पर्चियां मेडिकल टिकिट के साथ संलग्न कर दी जावेगी।
5. यदि बंदी को जेल से बाहर अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो भर्ती करने वाले चिकित्सक का नाम, पद, बीमारी का नाम, कब से कब तक भर्ती रहा, क्या दवाइयां दी गई तथा बंदी की मेडिकल रिपोर्टस एवं आगामी क्या ईलाज चलेगा उसका पूर्ण विवरण मेडिकल टिकिट में इन्द्राज होना चाहिए।
6. जब भी बंदी जेल अस्पताल में चेकअप करवाने आये तो उसी मेडिकल टिकिट को बाद उपचार के अस्पताल के रिकार्ड रूम में सुरक्षित रखा जाये।
7. बंदी की रिहाई की सूचना कारापाल द्वारा जेल चिकित्साधिकारी को दी जाये जिससे रिहाई होने वाले बंदी के मेडिकल टिकिट को पृथक से आगामी दो वर्षो तक सुरक्षित रखा जाये।

RajKaj Ref
10353178

Signature valid

Digitally signed by Vikram Singh Karnawat
Designation : Inspector General
Date: 2024.09.18 22:11:02 IST
Reason: Approved

8. यदि बंदी पुनः दो साल में जेल में प्रवेश होता है तो रिकॉर्ड रूम से मेडिकल टिकिट प्राप्त किया जाये जिससे पूर्व की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी मिल सकें।
9. बंदी मेडिकल टिकिट का संपूर्ण रिकॉर्ड कम्प्युटर में भी सुरक्षित रखा जायें।
10. बंदी के जेल स्थानांतरण किये जाने पर बंदी का मेडिकल टिकिट भी साथ भेजा जायें, जिससे आगामी जेल चिकित्साधिकारी को बंदी के स्वास्थ्य/बीमारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके एवं बंदी उपचार को चालू रखा जा सके साथ ही एक छायाप्रति स्थानांतरण की जाने वाली कारागृह पर भी रखी जायें।
11. वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में पर्यवेक्षण टिकिट (Observation Ticket)संधारित किया हुआ है, जिसमें केवल इंडोर संबंधित इंद्राज किया जाता है। पर्यवेक्षण टिकिट (Oberservation Ticket) के प्रारूप में ही मेडिकल टिकिट बनाया जा सकता है जिसमें आउट डोर, इंडोर दोनों उपचार संबंधित पर्चियों का इंद्राज एक साथ किया जा सकें।
12. प्रत्येक माह प्रत्येक बंदी का मेडिकल चैकअप होगा।

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
1. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान।
3. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राजस्थान।
5. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
6. संस्थापन अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान।
7. अधीक्षक ग्रेड—I/ग्रेड—II, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान।
8. प्रभारी, समस्त केन्दीय/वि.केन्द्रीय कारागृह/उच्च सुरक्षा कारागार/जिला/महिला बंदी सुधारगृह/उप कारागृह।
9. प्रभारी, बंदी शाखा/सामान्य शाखा, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
10353178

Signature valid
Digitally signed by Vikram Singh Karnawat
Designation : Inspector General
Date: 2024.09.18 22:11:02 IST
Reason: Approved

कारागार विभाग
(राजस्थान सरकार)

चिकित्सालय..

रोगी उपचार पत्र

पंजीयन क्रमांक.. दिनांक...................
रोगी का नाम...आयु...............स्त्री / पुरूष.................
मुख्य समस्या..
निदान...निदान नं.......................................
वार्ड नं...
भर्ती दिनांक...डिस्चार्ज दिनांक.................................

	हस्ताक्षर चिकित्सक	

RajKaj Ref
10353178

Signature valid
Digitally signed by Vikram Singh Karnawat
Designation : Inspector General
Date: 2024.09.18 12:11:02 IST
Reason: Approved

PERFORMA FOR HEALTH SCREENING OF PRISONER'S ON ADMISSION TO JAIL

Case No..
Name...Age..........Sex........Thumb Impression.......................
Father's/Husband's Name...Occupation.......;..................
Date &Time of admission in the prison.........................Medical Date ....
Identification marks (1)...
(2)..
Previous History of Illness ....
....

Are you suffering from any disease? Yes/No
If so, the name of the disease...
Are you now taking medicines for the same? Yes/No
Are you suffering from cough that has lasted for 3 weeks or more Yes/No
History of drug abuse, If any:
Any Information the prisoner may volunteer:

Physical Examination:
Height ....Cms. Weight...........Kgs.

1. Pallor	Yes/No	2. Lymph Node enlargement	Yes/No
3. Clubbing	Yes/No	4. Cyanosis	Yes/No
5. Icterus	Yes/No	6. Injury, If any	

Blood test of Hepatitis/STD Including HIV (with the informed consent of the prisoner whenever required by law)
Any other ....

Systemic Examination:

1. Nervous System
2. Cardio Vascular System
3. Respiratory System
4. Eye, ENT
5. Gastro Intestinal system abdomen
6. Teeth & Gum
7. Urinal System

The medicine examination and investigation were conducted with the consent of the prisoners after explaining to him/her that it was necessary for diagnosis and treatment of the disease from which he/she may be suffering.

Date of commencement of medical investigation
Date of completion of medical investigation

Medical Officer

RajKaj Ref
10496970

Signature valid
Digitally signed by Vikram Singh Karnawat
Designation : Inspector General
Date: 2024.09.18 12:11:38 IST
Reason: Approved